निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :133/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बालचन्द पुत्र गणेश जाति माली, निवासी पीली की तलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर मु. जयपुर पीठासीन अधिकारी श्रीमती श्याम राठौड आर. ए. एस जयपुर।
2. लाली देवी पुत्र टेकाराम
3. श्वतनप लाल पुत्र टेकाराम
4. नानगराम पुत्र टेकाराम

समस्त जाति माली, निवासी कस्बा आमेर, पीली की तलाई, तहसील आमेर, जिला जयपवुर ।

5. चुन्नी देवी पुत्री टेकाराम पत्नी बुद्धाराम जाति माली, निवासी कस्बा आमेर, पीली की तलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
6. रूकमा देवी पुत्री टेकाराम पत्नी जगदीश जाति माली निवसी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर ।
7. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।
8. प्रभाती देवी पत्नी रामू
9. सेहन लाल पुत्र रामू
10. महेश पुत्र रामू
11. कुशाल पुत्र रामू
12. श्रीमती लाली पुत्री रामू पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी कस्बा आमेर, पीली की तलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. श्रीमती मन्नी पुत्री रामू पत्न श्री गेदी लाल जाति माली, निवासी श्यामावाला की ढाणी जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर ।
14. श्रीमती ग्यारसी पुत्री रामू पत्नी कैलाश जाति माली, निवासी नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर
15. श्रीमती ईशरी पुत्री रामू पत्नी सेवाराम जाति माली, निवासी रामगडिया की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
16. गुलाब देवी पत्नी गणेश जाति माली, निवासी पीली की तलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर
17. भरमा देवी पुत्री गणेश पत्नी बाबू लाल
18. गेन्दी दउेवी पुत्री गणेश पत्नी मदन लाल

समस्त जाति माली, निवासी जामडोली तहसील व जिला जयपुर

19. कलावती पुत्री गणेश पत्नी गोकुल जाति माली, निवासी आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2013 ब उनवानी गणेश व अन्य बनाम टेका व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री राहुल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री एन॰ के॰ यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ओर से ।

निर्णय **दिनांक 25.07.2023**

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 07/2013 ब उनवानी गणेश व अन्य बनाम टेका व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एन॰ के॰ यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 25.06.2023 को प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी कि हमारी ए सी एम साहब से बात हो चुकी है वह शीघ्र ही तुम्हारा दावा खारिज कर देंगे। दिनांक 28.06.2023 को प्रार्थी न्यायालय में गया तथा पीठासीन अधिकारी से तारीख पेशी देने हेतु निवेदन किया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तारीख पेशी नियत करते हुये प्रार्थी को कहा कि आप उक्त प्रकरण में बहस करो या नहीं मै आगामी पेशी पर आपका दावा खारिज करूंगी, यदि आपको कोई आपत्ति हो तो उपर के न्यायालय में जा कर आप अपील कर सकते है। जिससे प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया है कि उक्त प्रकरण मे पत्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है,

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का सतर्कतापूर्वक अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर प्रार्थी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2013 ब उनवानी गणेश व अन्य बनाम टेका व अन्य को न्यायालय पर सहायक कलक्टर आमेर को अन्तरण किया जाता है। पक्षकाशन प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 01.08.2023 को न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में उपस्थित हो।

9. सहायक कलक्टर आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर एवं सहायक कलक्टर आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **26.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर